1013131 11 3111:11

JUDICIAL MAGISTRATE FIRS CLASS

Order or Proceeding with Syspansie of Presiding Officer 96/17

Parties of plenders where Necessary

जान आर्था के जाहर के स्पानिशक्षक राहायक जपनिशिक्षक प्रधान अत्रक प्राचन कि आर से जपराच का 1123 द्वारा थाना प्रभारी की ओर से जपराच व्याद्वार अंतर्गत धारा 13 कि अंतर देखान प्रणाच गाठदंवसंव अधिनियमक अधीन दण्डनीय अपराध के रावंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग

. पत्र/परिदाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०र्डा०पी०ओ० भी प्राची रिक्ट्रिया उपा

अभियुक्त / अभियुक्तगण वसिन् अ एए । केल्प्स् ) राज्य ।

थाना गार्ड जिला मिन्ड राज्य भार से अधिवक्ता गंगारण्डम / तकालतनामा [7] B ... ... Elk!

किया।

112

अभियोग पत्र-/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पन/परिवाद पन व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानूसार! ं नाणदं व संग । कायं वाही किये जाने के आधार प्रकट हो एहं हैं। अन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र०सं० के अधीन न्यान निया जाता है।

प्रकरण तम पंजीयन आपण्यास् में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त अभियुक्तनाण ५०७० । अधि अधिन प्रावधान अ अकाशा में अभियाम वज्र गृह । अन्य अने में निश्चलक दिलाश 1 11 1

The state of the s of the last

1 (1)

the in processing with bignet up at Presidence वाने मामला सहिएत विचारणीय है। अल सहिएत विचारण प्रारम विया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध। धारा 13.537 AG भाठदं०सं०/ को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुवत ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध कियां गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोवित को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर नोवित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 100 - 100 ...... रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को .......दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये। जप्तसुदा संपत्ति २०५०/- रूपये राजसात विग्ये जायें। रांपत्ति...ताश्राक्ती अपदीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा, वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो। प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अविधि भें अभिलेख संचयन हेत् आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत। अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। Judicial magistrate fine cel प्नश्च गणियानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 100,100,100,100,100,100 अदा की जिसकी पावती 6.9.०. रसीद क्र अर्भिष अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई। प्रकरण उपरोक्त निदंश अनुमार संनित हो।